

4/10
19

पत्रावली पेश हुई। वक्तुवाय उरिठेन उपस्थित।
पत्रावली से सम्बंधित वाह-पत्र आदेश ५ निम्न ॥
व धारा 151^{सी} की तारीख में खारिज किया जा चुका
है। अतः पत्रावली (प्राथमिक-पत्र) का अर्थ कोई
अर्थवित्त नहीं रहा। पत्रावली इसी स्टेज पर खारिज
की जाती है। पत्रावली केवल शुभारंभ के बाद
तब तक, तब तक दामिन् दृष्ट रहे।

5/10

सहायक कलक्टर
बीकानेर शहर

